अध्याय 6: कल्याणकारी उपायों पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष का उपयोग

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 राज्य शासन द्वारा एक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के गठन और एक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष के गठन का प्रावधान करता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (सितंबर 2008) राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत वर्णित लाभ प्रदान करने और कल्याणकारी उपाय करने के उद्देश्य से किया गया था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को धारा 24 (2) (ए) के अंतर्गत अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष का उपयोग करने के लिए भी अधिदिष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 277 में विभिन्न योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनका लाभ मण्डल द्वारा उन हितग्राहियों तक पहुँचाया जा सकता है जिन्होंने निर्धारित शर्तों के अधीन एक न्यूनतम अवधि के लिए कोष में अंशदान दिया था।

6.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

जैसा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 279 में निर्धारित है, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ योजनाओं को अधिसूचित कर सकता है और नियम 277 में निर्दिष्ट लाभों और लाभों के समूह के संबंध में अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ द्वारा 31 मार्च 2022 तक 25 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिनमें से निम्नलिखित 10 योजनाओं को लेखापरीक्षा में नमूना जांच के लिए चुना गया था।

- मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता)
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
- मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना
- नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना
- मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
- मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना
- दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना

वर्ष 2017–22 के दौरान, नमूना जांच की गई योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता का भुगतान **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.1: आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना	2017–22		
	आवंटन	व्यय	हितग्राही
अधिकतम वित्तीय सहायता वाली योजनाएं			
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना	156.00	104.10	54,917
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	125.00	89.84	17,287
मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना	130.45	91.39	47,104
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	151.27	99.15	5,04,273
मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना	235.84	73.37	2,21,012
मध्यम वित्तीय सहायता वाली योजनाएं			
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	148.00	8.77	2,04,843
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना	21.00	2.30	7,01,355
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	48.00	13.49	1,29,725
शून्य/न्यूनतम हितग्राही वाली योजनाएं			
मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना	3.50	0.93	0
दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	6.00	0.43	52
योग	**1,025.06**	**483.77**	**18,80,568**

*नोट: वर्ष 2017–22 के दौरान सभी 25 योजनाओं का आवंटन और व्यय **परिशिष्ट 6.1** में वर्णित है।*

6.1.1 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) का क्रियान्वयन

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत 18 से 50 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के कौशल उन्नयन के उद्देश्य से सितंबर 2012 में मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना शुरू की गई थी। योजना में मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न व्यवसायों जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, एसी रेफ्रिजरेशन, बढ़ई, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, सुरक्षा गार्ड और तकनीकी विभाग द्वारा चिन्हित अन्य सभी व्यवसायों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण की पूरी लागत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन की जानी थी तथा प्रशिक्षुओं को मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

योजना के नियम एवं शर्तें थी: –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण पोर्टल के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा संचालित किए जाएंगे।
- पंजीकृत श्रमिकों के प्रशिक्षण और भत्ते की लागत (अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी के बराबर) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित विसंगतियां देखी:

➢ प्रशिक्षुओं की कम उपस्थिति

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को जारी किए गए कार्य आदेशों के अनुसार, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना के तहत पंजीकृत सभी प्रशिक्षु प्रशिक्षण के सफल समापन एवं 80 प्रतिशत और उससे अधिक की उपस्थिति पर ही विशिष्ट व्यवसाय के अंतर्गत स्वीकार्य मानदेय के पात्र थे। मानदेय का भुगतान संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन था। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता प्रशिक्षण के सफल समापन एवं 80 प्रतिशत और उससे अधिक की उपस्थिति के बाद ही परीक्षा शुल्क के रूप में प्रति प्रशिक्षु **₹** 800 प्राप्त करने के पात्र है। परीक्षा आयोजित करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को राशि का भुगतान किया जाना था।

नमूना जांच किए गए पांच जिलों के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017–21 के दौरान जिला श्रम कार्यालय, रायगढ़ ने निर्धारित 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले 250 हितग्राहियों को **₹** 0.26 करोड़ मानदेय का भुगतान किया। योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका क्योंकि कम उपस्थिति के कारण निर्माण श्रमिकों के आवश्यक कौशल को उन्नत नहीं किया जा सका।

पांच में से दो जिलों (जांजगीर–चांपा और रायगढ़) में यह भी देखा गया कि जिला श्रम कार्यालयों ने वर्ष 2017–21 के दौरान कम उपस्थिति (80 प्रतिशत से कम) वाले प्रशिक्षुओं के विरूद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था जैसा कि **तालिका 6.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.2: व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को परीक्षा शुल्क के भुगतान का विवरण

जिला	**80 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले हितग्राहियों की संख्या जिनके विरुद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को परीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया**	**भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क (₹ करोड़ में)**
जांजगीर–चांपा	321	0.02
रायगढ़	441	0.04
योग	**762**	**0.06**

(स्रोतः श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

हालांकि, अन्य तीन जिलों (रायपुर, बस्तर और बिलासपुर) ने प्रशिक्षण और उपस्थिति के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि प्रशिक्षण कार्यक्रम ठीक से लागू किए गए थे या नहीं। इस प्रकार, विभाग ने चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी नहीं की और न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना परीक्षा शुल्क जारी कर दिया।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (अप्रैल 2024) कि वेतन हानि के विरुद्ध मुआवजे के प्रावधान के अनुपालन में कम उपस्थिति के बाद भी हितग्राहियों को मानदेय का भुगतान किया गया है। परीक्षा शुल्क के संदर्भ में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदन स्वीकार करने वाले निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है साथ ही जांजगीर–चांपा जिले के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को अपात्र हितग्राहियों के लिए प्राप्त परीक्षा शुल्क को वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करने के कारण निर्माण श्रमिकों के कौशल उन्नयन का योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

6.1.2 मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना

मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना 2010 में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रति वर्ष 10,000 साइकिलें वितरित की जानी हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अधिसूचना (नवंबर 2012) के माध्यम से अधिकतम पात्रता आयु को 40 वर्ष से संशोधित कर 35 वर्ष कर दिया था। जनवरी 2018 में आयोजित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक के दौरान योजना के अंतर्गत दिसंबर 2015 से पहले पंजीकृत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के सभी पुरुष निर्माण श्रमिकों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया था।

➢ **मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत अपात्र निर्माण श्रमिकों को लाभ दिया गया**

अभिलेखों की जांच में पता चला है कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत 1,88,880 हितग्राहियों को लाभ दिया था, इनमें से कुल 2,772 श्रमिक योजना के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके थे और इसलिए योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं थे जैसा कि **परिशिष्ट 6.2** में दर्शाया गया है।

इसी तरह, पांच चयनित जिलों में, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने वर्ष 2017–22 के दौरान 58,597 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया था जिनमें से 933 हितग्राही योजना की पात्रता के लिए निर्धारित आयु को पार कर चुके थे। अपात्र हितग्राहियों का जिलेवार विवरण **तालिका 6.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.3: अपात्र हितग्राहियों का जिलेवार विवरण

जिला	हितग्राहियों की कुल संख्या	अपात्र हितग्राहियों की कुल संख्या
रायपुर	16,963	35
बस्तर	5,952	14
बिलासपुर	14,790	363
जांजगीर–चांपा	10,316	355
रायगढ़	10,576	166
योग	**58,597**	**933**

(स्रोतः श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

यह स्पष्ट है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने आवेदनों की उचित जांच नहीं की जिसके कारण अपात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018–19 के दौरान विभाग द्वारा 1.78 लाख साइकिलों का असमान वितरण भी देखा जो वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान वितरित कुल साइकिलों का 94 प्रतिशत है।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि वितरण के दौरान विकास यात्रा का आयोजन किया गया था और बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे जिनके निपटान के लिए बहुत कम समय दिया गया था। इस प्रकार, त्रुटिवश श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। हालांकि, आयु की पुनः जांच की जा रही है और यदि कोई अपात्र पाया जाता है तो वसूली की जाएगी।

6.1.3 मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना

मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना अक्टूबर 2010 में राज्य में विभिन्न व्यवसायों के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रति वर्ष 10,000 टूलकिट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ और श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग को प्रति वर्ष 10,000 किट अर्थात् वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान 50,000 औजार किट खरीदने की आवश्यकता थी। हालांकि, विभाग ने वर्ष 2018–19 के दौरान **₹** 3.79 करोड़ की लागत से 1,34,808 किट (84,808 अतिरिक्त) खरीदे थे।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया है कि खरीदे गए 1,34,808 किटों में से विभाग ने वर्ष 2018–19 के दौरान केवल 1.28 लाख किट वितरित किए है जैसा कि **तालिका 6.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.4: किटों के वितरण का विवरण

व्यवसाय किट	खरीदी गई किटों की संख्या	वितरित की गई किटों की संख्या	वितरित नहीं की गई किटों की संख्या	दर (₹ प्रति इकाई में)	राशि (₹ लाख में)
राजमिस्त्री	28,267	25,702	2,313	1,296	29.98
बढ़ई	3,489	2,952	537	2,326	12.49
प्लम्बर	3,367	3,266	100	4,375	4.37
पेंटर	1,979	1,338	641	379	2.42
इलेक्ट्रीशियन	5,698	5,255	443	1,197	5.30
रेजा–कुली	92,008	89,938	2,070	889	18.40
योग	**1,34,808**	**1,28,451**	**6,104**		**72.98**

(स्रोतः श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

शेष 6,104 किट वर्ष 2018–19 से वितरित नहीं किए गए। इस प्रकार, आवश्यकता से अधिक किटों की खरीद के कारण **₹** 72.98 लाख की लागत वाले 6,104 टूलकिट चार वर्ष से अधिक समय से बेकार पड़े हैं। जंग लगने/अन्य कारणों से टूल किट आइटम में स्थायी क्षति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

चित्र 6.1: रायगढ़ जिले में अवितरित औज़ार किट

इंगित किये जाने पर शासन द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया (अप्रैल 2024)।

6.1.4 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी पंजीकृत मजदूरों के लिए "निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना" शुरू की (मई 2015) जिसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ मिला दिया गया। योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आवेदन और सहमति प्राप्त होने के बाद भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल हितग्राही के बैंक खाते में देय बीमा प्रीमियम जमा करेगा। बाद में हितग्राही के बैंक खाते से इस राशि की स्वतः कटौती की जाकर बीमा कंपनी को हस्तांतरित की जाएगी।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभाग ने वर्ष 2017–18 से 2018–19 के दौरान निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 61,103 हितग्राहियों को बीमा प्रीमियम हस्तांतरित किया था। हालांकि, 4 अगस्त 2022 को आयोजित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार योजना को 9 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया गया। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईः

- **हितग्राहियों का उनकी मृत्यु के बाद बीमा कराया गया**

अभिलेखों की जांच से पता चला कि चयनित पांच जिलों में से दो जिलों जांजगीर–चांपा और बिलासपुर में वर्ष 2017–18 के दौरान बीमा के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे और 13 हितग्राहियों को उनकी मृत्यु की तिथि के बाद विभाग द्वारा वार्षिक प्रीमियम का हस्तांतरण किया गया (**परिशिष्ट 6.3**)। यह मंडल और विभाग द्वारा आवेदनों के सत्यापन में कमी को दर्शाता है। दस्तावेजों के उचित सत्यापन के लिए तंत्र के अभाव में हितग्राहियों का उनकी मृत्यु के बाद भी बीमा किया गया था।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि इन हितग्राहियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन प्रीमियम भुगतान के समर्थन में दस्तावेजों की कमी और हितग्राहियों की मृत्यु की पुष्टि के अभाव में इन हितग्राहियों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा की आपत्ति प्रीमियम भुगतान से संबंधित था। हालांकि, शासन ने हितग्राहियों की मृत्यु के बाद दावा निपटान के बारे में उत्तर दिया था।

➢ **हितग्राहियों को बीमा कवरेज से वंचित करना**

निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के नियम स उप नियम iii (3) में निर्धारित अनुसार, मृत्यु की स्थिति में मृतक के नामित व्यक्ति को ₹ 2 लाख का मृत्यु लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उप–खंड– द में मृतक पंजीकृत श्रमिक के नामित व्यक्ति को जिला नोडल एजेंसी (जिला श्रम अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त) के समक्ष मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रारूप–एक में मृत्यु दावा प्रस्तुत करने की परिकल्पना की गई है, जो अधिकृत बैंक के साथ दावे के निपटान की आगे की औपचारिकताएं पूरी करेगा।

पांच चयनित जिलों में से तीन जिलों (बिलासपुर, जांजगीर–चांपा और बस्तर) में नमूना जांच किये गये प्रकरणों की जांच से पता चला कि 21 हितग्राहियों जिनके लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम हस्तांतरित किया गया था, उनकी मृत्यु बीमा अवधि के दौरान हुई थी लेकिन किसी भी नामित व्यक्ति को ₹ 2 लाख के बीमा कवरेज का लाभ नहीं दिया गया था (**परिशिष्ट 6.4**)। इस प्रकार, योजना के दायरे में आने वाली हितग्राहियों के निपटान नहीं किये गये सभी प्रकरणों की भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निगरानी की कमी थी और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल बीमित हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप हितग्राही बीमा कवरेज से वंचित हो गए।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि हितग्राही की मृत्यु होने पर मृतक श्रमिक के नामित व्यक्ति द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत करने का प्रावधान था। हालांकि, मृतक श्रमिक के केवल एक नामित व्यक्ति ने दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और श्रम विभाग को योजना के अंतर्गत बीमित मृत हितग्राहियों के नामित व्यक्तियों को बीमा दावे के भुगतान के लिए बिना दावा के रह गये सभी प्रकरणों की निगरानी एवं उनके निपटान के लिए बीमा कंपनी के साथ एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

6.1.5 शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना पूर्ववर्ती पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना एक सार्वजनिक स्थान चावडी पर इकट्ठा होने वाले निर्माण श्रमिकों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2017 में शुरू की गई थी।

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के अंतर्गत भोजन पकाने और निर्माण श्रमिकों को गर्म पका हुआ भोजन वितरित करने के काम के लिए खाद्य आपूर्ति एजेंसी टचस्टोन फाउंडेशन, भिलाई के साथ 01 जनवरी 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। प्रत्येक प्लेट की कीमत ₹ 18.90 तय की गई थी जिसमें से पांच रुपया निर्माण श्रमिकों को और शेष राशि ₹ 13.90 भवन एवं अन्य

सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जाना था। समझौता ज्ञापन के खण्ड 7.8 गुणवत्ता और स्वच्छता तथा अनुलग्नक 3 के अनुसार, टचस्टोन फाउंडेशन, भिलाई, बैठक की जगह पर श्रमिकों को अच्छा, स्वच्छ और मानक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। विभाग को विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए भोजन के स्तर की जांच के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करना है। वह वितरित या परोसे गए भोजन की संख्या के लिए टचस्टोन फाउंडेशन द्वारा बनाए गए रजिस्टर पर पावती देगा और हस्ताक्षर करेगा।

चयनित पांच जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना तीन जिलों (रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़) में लागू किया जा रहा था। जनवरी 2018 से मार्च 2022 के दौरान टचस्टोन फाउंडेशन ने योजना के अंतर्गत पंजीकृत 5.33 लाख भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया था जैसा कि **तालिका 6.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.5: योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का विवरण

वर्ष	योजना के अंतर्गत लाभान्वित भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की संख्या			कुल
	रायपुर	बिलासपुर	रायगढ़	
2017–18	14,221	11,471	9,056	60,209
2018–19	34,470	32,894	1,43,754	2,20,270
2019–20	26,998	44,979	51,794	1,01,081
2020–21	28,322	24,039	3,527	88,441
2021–22	33,092	64,728	9,437	1,31,401
योग	**1,37,103**	**1,78,111**	**2,17,568**	**5,32,782**

(स्रोतः श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 5.33 लाख श्रमिकों को टचस्टोन फाउंडेशन द्वारा गर्म भोजन उपलब्ध कराया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने श्रमिकों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई नामित अधिकारी नियुक्त नहीं किया था।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि संबंधित जिलों के श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक/कल्याण निरीक्षक समय–समय पर भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हैं और यदि कोई कमी है तो उसकी सूचना देते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निरीक्षण और भोजन परीक्षण से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ।

6.1.6 मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना (संजीवनी एम्बुलेंस योजना)

राज्य में "108 एम्बुलेंस योजना" के शुभारंभ के बाद संजीवनी एम्बुलेंस की कम उपयोगिता के कारण संजीवनी एम्बुलेंस योजना का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 5 सितंबर 2012 से "मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना" शुरू की गई थी। मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और

विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निर्माण स्थल और चावड़ी में शिविर/सम्मेलन आयोजित किए गए थे।

➢ **दूरस्थ स्थानों पर शिविरों का आयोजन न करना**

चयनित जिलों द्वारा आयोजित शिविरों से संबंधित डेटाबेस की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्रीय कार्यालयों ने जिलों के दूरस्थ स्थानों पर शिविरों का आयोजन नहीं किया।

रायगढ़ः– वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान रायगढ़ जिले में कुल 42 शिविर आयोजित किए गए और इन शिविरों में 7,954 श्रमिक (कुल पंजीयन का 14.93 प्रतिशत) पंजीकृत हुए। कुल 42 में से 32 शिविर पूर्व में सरवानी और दक्षिण में जामगांव में आयोजित किए गए। हालांकि, अंतिम स्थित दूरस्थ कस्बों/गांवों (गौरडीह और विजयनगर) तक मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन के माध्यम से नहीं पहुंचा गया था।

बिलासपुरः– वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान बिलासपुर जिले में कुल 213 शिविर आयोजित किए गए और जिले में कुल 94,232 पंजीयन में से 3,924 श्रमिकों (चार प्रतिशत) को इन शिविरों में पंजीकृत किया गया। कुल 213 में से 33 शिविर मस्तूरी में आयोजित किए गए थे जबकि अंतिम स्थित गांवों/कस्बों (नवाटोला और खमरिया) को मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना के माध्यम से नहीं छुआ गया था।

जांजगीर–चांपाः– वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान जांजगीर–चांपा जिले में कुल 68 शिविर आयोजित किए गए और जिले में कुल 1,17,284 पंजीयन में से 14,426 श्रमिकों (कुल पंजीयन का 12.29 प्रतिशत) को मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना के माध्यम से इन शिविरों में पंजीकृत किया गया।

बस्तरः– बस्तर जिले में वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक कुल 114 शिविर आयोजित किए गए तथा जिले में कुल 16,585 पंजीयन में से केवल 5,985 श्रमिकों (36.08 प्रतिशत) का ही मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना के माध्यम से इन शिविरों में पंजीयन किया गया।

चित्र 6.2: जागरूकता शिविरों के आयोजन का सचित्र प्रस्तुतीकरण

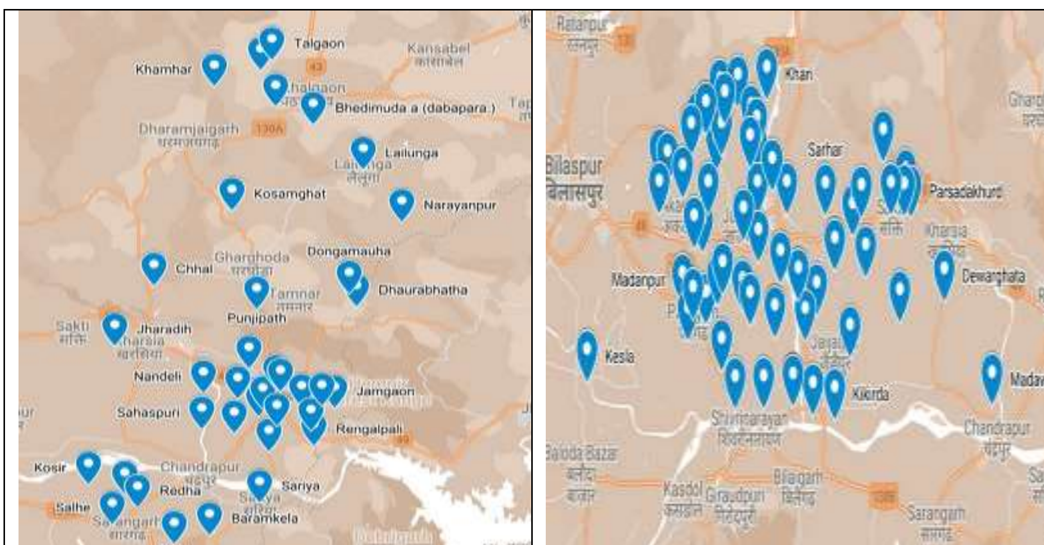

रायगढ़ | जांजगीर–चांपा

बिलासपुर

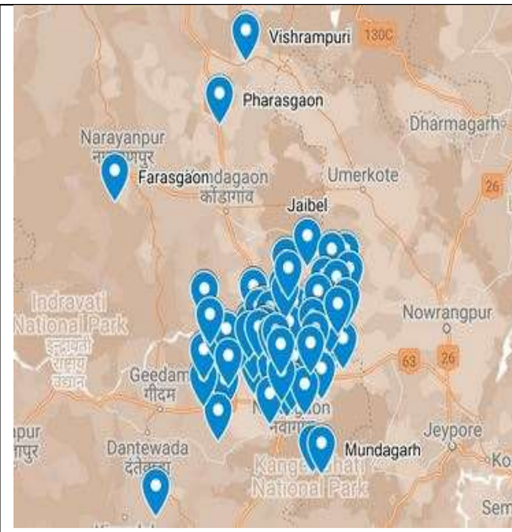

बस्तर

पूर्ववर्ती चार्टों में मानचित्रों से स्पष्ट है कि विभाग ने केवल जिला श्रम अधिकारी के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही शिविर आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। जिले के दूरदराज के स्थानों पर रहने वाले निर्माण श्रमिक इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकते हैं और योजना के इच्छित लाभ से वंचित रह गए हैं।

शासन ने एक आदेश को संदर्भित किया (अप्रैल 2024) जिसमें कहा गया था कि पीओएल की सीमा 65 लीटर प्रति माह और निर्धारित पात्रता के अनुसार वाहनों के रखरखाव के लिए ₹ 30,000 तय की गई थी। इसके अतिरिक्त, आवंटित निधि के अनुसार, श्रमिक केंद्रित क्षेत्रों में शिविरों के आयोजन/योजना पंजीयन/पंजीयन के नवीनीकरण/निर्माण श्रमिकों के योजना आवेदन के साथ–साथ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बारे में जागरूकता पर खर्च किया गया।

शासन को जिले के आकार और यात्रा आवश्यकता के आधार पर पीओएल/रखरखाव की आवश्यकता का आकलन करने की जरूरत है।

6.1.7 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के विलंबित हस्तांतरण

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2011 में अधिनियमित किया गया था जो राज्य शासन, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों या एजेंसियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर नागरिकों को कुछ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है और सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय करता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के दायरे में आने वाली योजनाओं का लाभ 30 दिनों के भीतर हितग्राहियों तक पहुंचाना आवश्यक था। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना और मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना को भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कवर किया गया था।

नमूना जांच वाले जिलों में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दोनों योजनाओं (मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना और मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना) में वर्ष 2017–22 के दौरान 6,658 में से कुल 2,759 हितग्राहियों को विलंब से योजना का लाभ प्राप्त हुआ जैसा कि **तालिका 6.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.6: हितग्राहियों को किए गए विलंबित भुगतान का विवरण

योजना	हितग्राहियों की संख्या	विलंबित भुगतान प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	विलंब की सीमा		
				01 से 15 दिन	16 दिन से एक माह	एक माह से अधिक
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	2,440	600	2.77	197	112	291
मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना	4,218	2,159	4.32	153	111	1,895
योग	**6,658**	**2,759**	**7.09**	**350**	**223**	**2,186**

(स्रोत: श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना के लाभ के वितरण में अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 30 दिनों की सीमा से बाहर एक दिन से लेकर एक महीने से अधिक की देरी हुई।

इंगित किए जाने पर शासन ने देरी के लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया (अप्रैल 2024) जैसे कि ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन, 2018–19 में राज्य और आम चुनावों के दौरान आचार संहिता, कोविड–19 महामारी के कारण भौतिक सत्यापन के दौरान नामित व्यक्तियों की अनुपलब्धता। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए श्रम निरीक्षकों के नामित व्यक्तियों के घर बार–बार जाने से और देरी हुई।

6.2 हितग्राही सर्वेक्षण का परिणाम

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा पात्र निर्माण श्रमिकों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। हितग्राहियों की पहचान एवं पंजीयन, उनके आवेदनों की जांच तथा हितग्राहियों की शिकायतों के संबंध में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के काम का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक चयनित जिले से 100 हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए चयनित जिलों की नमूना जांच के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित चयनित योजनाओं के बारे में जागरूकता के संबंध में हितग्राही सर्वेक्षण किया गया। हितग्राही सर्वेक्षण के परिणाम **चार्ट 6.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.1: हितग्राही सर्वेक्षण के परिणाम

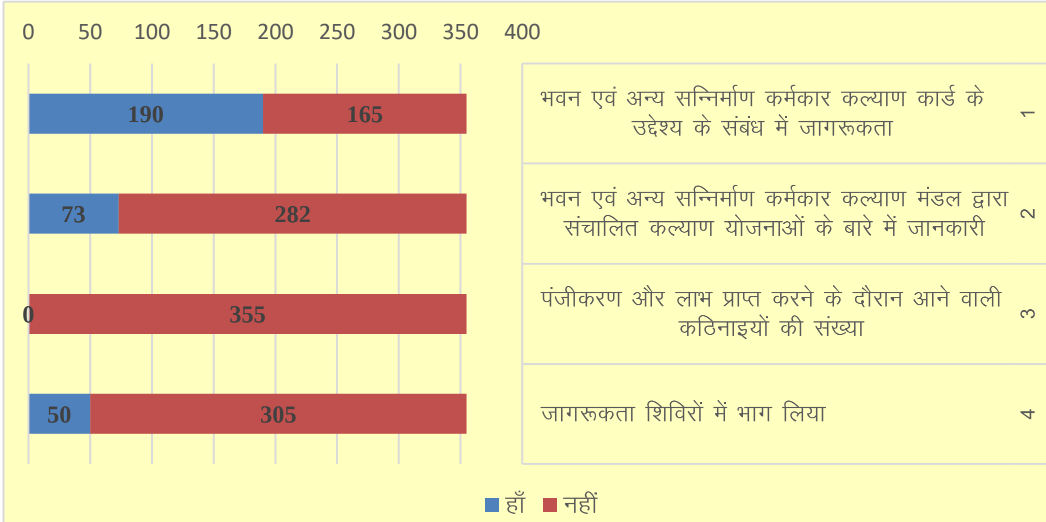

(स्रोतः हितग्राही सर्वेक्षण)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण किए गए 86 प्रतिशत हितग्राहियों ने जागरूकता शिविरों में भाग नहीं लिया और 79 प्रतिशत हितग्राहियों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रशासित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं था, जबकि 46 प्रतिशत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा जारी कल्याण कार्ड के उद्देश्य और महत्व के बारे में भी पता नहीं था। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने आईईसी गतिविधियों पर ₹ 28.62 करोड़ खर्च किया है। यह दर्शाता है कि मंडल द्वारा की गई आईईसी गतिविधियां प्रभावी नहीं थीं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों तक पहुंचने के लिए न केवल कवरेज और कार्यप्रणाली को बढ़ाने की आवश्यकता है बल्कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीयन और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की आवश्यकता है।

शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभाग ने समय और श्रमिकों के अप्रासंगिक खर्चों को बचाने के लिए लोक सेवा केंद्रों (च्वाइस सेंटर) से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आगे, यह भी उल्लेख किया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से डिजिटीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत श्रमिकों के आवेदन प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए थे ताकि उन्हें बिना विलंब के लाभान्वित किया जा सके।

6.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने श्रम कल्याण मण्डल/विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियाँ देखी। प्रशिक्षुओं की कम उपस्थिति, अधिक खरीद के मामले और टूल किट के अवितरण के बावजूद कौशल उन्नयन योजना के अतर्गत हितग्राहियों को मानदेय और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को परीक्षा शुल्क के अनियमित भुगतान के मामले पाये गये। गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था न होने के कारण निर्माण श्रमिकों को दिये गये भोजन में गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पालन न किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। हितग्राहियों को सहायता/लाभ के विलंबित भुगतान के मुद्दे भी देखे गए हैं।

हितग्राहियों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी थी जो हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान परिलक्षित हुई है।

6.4 अनुशंसाएं

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ/सहायता पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार को निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और मृत्यु एवं विकलांगता के मामलों में मण्डल को स्वतः पहल करनी चाहिए और आवेदन की आवश्यकता के बिना उचित सत्यापन के बाद लाभ देना चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को दूरदराज के क्षेत्रों में भी श्रमिकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों के मामले में जिला श्रम प्राधिकारियों (श्रम उप निरीक्षक/निरीक्षक, श्रम अधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त) की जिम्मेदारियां निर्धारित करनी चाहिए।